

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अवालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

छोटू लाल पिता रामनाथ कोली नि. जहाजपुर

बनाम

गोपाल पिता विशीलाल ब्राहमण नि. जहाजपुर वगीरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 230/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुई
12.04.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भगतो की झुपडिया पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 5774/2, 5781 कुल कित्ता 02 रकबा 04.05 बीघा स्थित है। विपक्षीय आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम भगतो की झुपडिया पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 5774/2, 5781 कुल कित्ता 02 रकबा 04.05 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p align="right">आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	